

67
R 5238 II/16

दयाशंकर यादव तनय गोविन्द यादव निवासी ग्राम बहेरा, तहसील मनगवाँ,
जिला रीवा म0प्र0 _____निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- चन्द्रमणि सिंह तनय द्वारिका सिंह निवासी ग्राम बहेरा, तहसील मनगवाँ, जिला रीवा म0प्र0
- 2- शासन म0प्र0 _____गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. रघुवंश प्रताप सिंह
द्वारा आज दिनांक 17-5-16
प्रस्तुत किया गया।

M
रीवा
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0
प्रकरण क0-504 /अपील/2014-15
आदेश दिनांक 01.04.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0
राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्न हैं :-


- 1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।
- 2- यहकि भूमि आराजी क0-12/1 रकवा 0.05 एकड़ स्थित ग्राम बहेरा, पटवारी हल्का परासी, वृत्त गढ़, तहसील मनगवाँ, जिला रीवा म0प्र0 स्थित शासकीय भूमि है, जो रास्ता के रूप में उपयोग होती है, जिसमें से निगराकार व गाँव के लोग आते-जाते हैं जो राजस्व खसरो में भी रास्ता दर्ज है।
- 3- यहकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में गैरनिगराकार क0-01 के विरुद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5238-II/16

जिला-रीवा

दयाशंकर यादव/चन्द्रमणि सिंह

(1)	(2)	(3)
22.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	